(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 46 (आर.ई.- 2010)/2009-2014

नई दिल्ली , दिनांक 16 मई, 2011

विषयः- बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य ।

सां0आ0(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, अधिसूचना सं0 24 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 18.02.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं0 36(आर ई-2010)2009-2014 दिनांक 23.03.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है । यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. अधिसूचना सं0 36 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 23.03.2011 की क्रम सं0 44.02 पर वर्णित मद हेतु पैरा 2(ख) में आने वाले वाक्यांश ''पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 600 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित'' को वाक्यांश ''पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 350 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 350 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन होगा । 23.03.2011 को यह यथाअधिसूचित 600 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था ।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/91/180/922/एएम 08/पीसी-3/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)